संक्षिप्त

एमडी के साथ युवक पकड़ा

नोखा। पुलिस ने बीकानेर रोड पर कार्रवाई करते हुए एक युवक को मादक पदार्थ एमडी के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 10.48 ग्राम एमडी बरामद हुई है। गिरफ्तार युवक की पहचान मोहनपुरा मोहल्ला निवासी ऋतिक नायक के रूप में हुई है। थानाधिकारी अरविंद भारद्वाज के निर्देश पर पुलिस को मादक पदार्थ की सूचना मिली थी। इसके बाद सब इंस्पेक्टर कुशलाराम के नेतृत्व में एक पुलिस टीम बीकानेर रोड पर पहुंची। पुलिस वाहन को देखकर वहां खड़ा युवक भागने लगा, जिसे पुलिस टीम ने पीछा कर पकड़ लिया। तलाशी लेने पर युवक ऋतिक नायक के पास से 10.48 ग्राम एमडी बरामद हुई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। इस कार्रवाई में पुलिसकर्मी तेजाराम, रामेश्वर लाल बिश्नोई और जेठूसिंह शामिल थे।

खुले ट्यूबवेल से बह रहा पानी

जसरासर। तहसील के भगवानपुरा मुंदड़ गांव में एक खुले ट्यूबवेल से हजारों लीटर पानी लगातार व्यर्थ बह रहा है। पाइप टूटने और लीकेज के कारण यह पानी बिना किसी उपयोग के गांव की गलियों और रास्तों में फैल रहा है, जिससे जल संसाधनों की भारी बर्बादी हो रही है।

कोहरा छाया

श्रीगंगानगर। जिले में वेस्टर्न डिस्टरबेंस का असर खत्म होते ही सर्दी बढ़ गई है। जिले के ग्रामीण इलाकों में आज सुबह हल्का कोहरा छाया रहा। हालांकि, 10 बजे के बाद तेज धूप निकली। सुबह-शाम ठंड का दौर जारी है और पिछले कई दिनों से मौसम ड्राई बना हुआ है।

मौसम राडार स्टेशन, श्रीगंगानगर पर बुधवार सुबह न्यूनतम तापमान 9.2 डिग्री रिकार्ड किया गया। मंगलवार को न्यूनतम तापमान 9.1 डिग्री व अधिकतम तापमान 22.7 डिग्री रिकार्ड किया गया था। वहीं, सोमवार को यहां अधिकतम तापमान 20.5 डिग्री और न्यूनतम तापमान 9.3 डिग्री रिकार्ड किया गया।

मौसम विभाग ने जिले में अगले तीन-चार दिनों तक घना कोहरे और बादल छाने की संभावना जताई है। इस दौरान मौसम ड्राई रहेगा। सप्ताह के अंत तक मौसम में कोई बदलाव नहीं होगा। लगातार तापमान बढ़ने से फसलों में सिंचाई की पानी की मांग भी बढ़ेगी जिसने किसने की चिंता बढ़ा दी है।

कर्नल निशा कुल्हारी ने किया सेना भर्ती रैली स्थल का निरीक्षण

बीकानेर। भारतीय सेना द्वारा आयोजित बीकानेर भर्ती रैली-2026 के अंतर्गत को कर्नल निशा कुल्हारी ने भर्ती स्थल का गहन एवं क्रमबद्ध निरीक्षण किया। इस अवसर पर कर्नल निशा कुल्हारी ने कहा कि भारतीय सेना की भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी, निष्पक्ष एवं योग्यता आधारित है। योग्य, अनुशासित और समर्पित युवाओं को राष्ट्र सेवा का अवसर प्रदान करना ही इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि सेना में चयन केवल शारीरिक क्षमता का ही नहीं, बल्कि मानसिक दृढ़ता, अनुशासन और राष्ट्र के प्रति समर्पण का भी प्रतीक है।

इस अवसर पर सेना भर्ती इंचार्ज कर्नल अंकुर कुमार ने बताया कि निरीक्षण का उद्देश्य भर्ती प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में पारदर्शिता, निष्पक्षता तथा अभ्यर्थियों के लिए की गई व्यवस्थाओं की प्रभावशीलता सुनिश्चित करना था।निरीक्षण के दौरान कर्नल निशा कुल्हारी ने सर्वप्रथम 1.6 किलोमीटर दौड़ स्थल का अवलोकन किया। उन्होंने अभ्यथिर्यों के उत्साह, अनुशासन तथा शारीरिक दक्षता की सराहना करते हुए व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि दौड़ के दौरान सुरक्षा और निष्पक्षता के सभी मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

इसके उपरांत कर्नल कुल्हारी ने पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) एवं शारीरिक माप परीक्षण (मेज़रमेंट टेस्ट) क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि सभी परीक्षण निर्धारित मानकों के अनुरूप, पारदर्शी एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हो रहे हैं। इसके बाद उन्होंने बीम टेस्ट स्थल का निरीक्षण करते हुए सुरक्षा मानकों एवं परीक्षण प्रक्रिया की विस्तृत समीक्षा की।

अगले चरण में कर्नल निशा कुल्हारी ने दस्तावेज़ सत्यापन (डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन) केंद्र का निरीक्षण किया, जहाँ अभ्यथिर्यों के शैक्षणिक एवं अन्य आवश्यक प्रमाण-पत्रों की जांच की जा रही थी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि दस्तावेज़ जांच प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की त्रुटि या विलंब न हो तथा सभी अभ्यर्थियों के साथ समान व्यवहार सुनिश्चित किया जाए।

निरीक्षण के दौरान कर्नल कुल्हारी ने डायरेक्टर इंटरव्यू प्रक्रिया का भी अवलोकन किया। इस अवसर पर उन्होंने कुछ अभ्यथिर्यों से संवाद कर उनका उत्साहवर्धन किया तथा उन्हें आत्मविश्वास और अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रेरित किया।कर्नल कुमार ने बताया कि निरीक्षण के अंतिम चरण में कर्नल निशा कुल्हारी ने चिकित्सा परीक्षण (मेडिकल) क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने चिकित्सा परीक्षणों के निर्धारित मानकों के अनुरूप संचालन का जायजा लिया और स्वास्थ्य परीक्षण प्रक्रिया में गुणवत्ता एवं पारदर्शिता बनाए रखने के निर्देश दिए।

कर्नल अंकुर कुमार ने बताया कि भर्ती रैली के दौरान समस्त व्यवस्थाएँ सुव्यवस्थित रूप से संचालित हो रही हैं तथा अभ्यथिर्यों की सुविधा और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। विदित है कि सेना भर्ती रैली 29 जनवरी से 15 फरवरी 2026 तक आयोजित की जा रही है, जिसमें बड़ी संख्या में युवा देश सेवा के संकल्प के साथ भाग ले रहे हैं।

बीछवाल-करणी लिंक रोड का रेल फाटक बनी बाधा

बीकानेर। यहा बीछवाल और करणी औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ने वाली लिंक रोड पर स्थित रेलवे फाटक अब औद्योगिक विकास के लिए गंभीर अड़चन बनता जा रहा है। क्षेत्र के उद्योग प्रतिनिधियों ने इस समस्या को लेकर मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम) गौरव गोविल से मुलाकात कर ओवरब्रिज निर्माण की मांग उठाई है।

रीको लिमिटेड के क्षेत्रीय प्रबंधक सुरेंद्र प्रसाद शर्मा, बीकानेर जिला उद्योग संघ के अध्यक्ष द्वारका प्रसाद पचीसिया, ज़ेडआरयूसीसी सदस्य नरेश मित्तल तथा संयोजक राजीव शर्मा ने डीआरएम को बताया कि बीछवाल और करणी औद्योगिक क्षेत्र में सैकड़ों छोटी-बड़ी औद्योगिक इकाइयां संचालित हैं। इनमें से कई इकाइयां राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने उत्पादों के लिए पहचान रखती हैं।

इन इकाइयों से प्रतिदिन भारी मात्रा में

> ■ रेलवे फाटक दिन में लगभग 40 से 45 बार बंद होता है। हर बार फाटक बंद होने पर 15 से 20 मिनट का इंतजार करना पड़ता है

तैयार माल देश-विदेश भेजा जाता है तथा कच्चा माल इसी मार्ग से आता है। उद्योग संघ के अनुसार उक्त रेलवे फाटक दिन में लगभग 40 से 45 बार बंद होता है। हर बार फाटक बंद होने पर 15 से 20 मिनट का इंतजार करना पड़ता है, जबकि मालगाड़ी शंटिंग के दौरान यह समय आधा घंटा तक भी पहुंच जाता है। इससे ट्रकों की लंबी कतारें लग जाती हैं और माल परिवहन में अनावश्यक देरी होती है, जिसका सीधा असर उद्योगों की लागत और समयबद्ध आपूर्ति पर पड़ रहा है। करणी औद्योगिक क्षेत्र में इंजीनियरिंग कॉलेज भी स्थित है, जिससे विद्यार्थियों को भी रोजाना जाम की समस्या झेलनी पड़ती है। साथ ही करणी थर्ड फेज के विस्तार के चलते भविष्य में यातायात दबाव और बढ़ने की संभावना है।

पांच दिवसीय अंजन शलाका प्रतिष्ठा महोत्सव शुरू

बीकानेर। खरतरगच्छाधिपति, आचार्यश्री श्री जिनमणिप्रभ सूरिश्वरजी महाराज, गणिवर्य मयंक प्रभा सागर, मेहुल प्रभ सागर, मुनि मंथन प्रभ सागर, मीत प्रभ सागर, साध्वी दीपमाला व शंखनिधि जैन श्वेताम्बर पार्श्वचन्द्र गच्छ की साध्वी पद्म प्रभा व सुव्रताश्रीजी के सान्निध्य में गंगाशहर के गोल मंदिर में बुधवार को पांच दिवसीय अंजन शलाका प्रतिष्ठा महोत्सव शुरू हुआ।

जीर्णोद्धारोपरान्त नवनिर्मित त्रिशिखरीय शिखरबद्ध जिनालय में श्री सांवलिया पार्श्वनाथ भगवान सहित 15 नूतन व प्राचीन प्रतिमाओं की अंजन शलाका-प्रतिष्ठा के लिए मंदिर में स्थापित किया गया। अंजन शलाका-प्रतिष्ठा महोत्सव भगवान श्री पार्श्वनाथ मंदिर जीर्णोद्धार ट्रस्ट एवं सेठ श्री फौजराज बांठिया पार्श्वनाथ जैन मंदिर ट्रस्ट, गंगाशहर व बीकानेर के तत्वावधान शुरू हुआ अंजन शलाका प्रतिष्ठा पंचाह्निका महोत्सव के प्रथम दिन बुधवार को विविध धार्मिक अनुष्ठान हुए। भगवान श्री पार्श्वनाथ मंदिर जीर्णोद्धार ट्रस्ट के अध्यक्ष धनपत सिंह बांठिया ने बताया कि बुधवार को गच्छाधिपति, गणिवर्य, मुनि व साध्वीवृंद के सान्निध्य में भक्ति संगीत के साथ विविध आयोजन हुए। महोत्सव के लिए अस्थाई स्थापित वाराणसी नगर विद्या निकेतन भवन में स्थापित कुशल कांति नगर का शुभारंभ गच्छाधिपति आचार्य जिन मणि प्रभ सूरिश्वरजी के सान्निध्य में हुआ। अंजनशलाका प्रतिष्ठा महोत्सव के प्रथम दिन वेदिका पूजन, परमात्मा का वेदी स्थापना, कुंभ स्थापना, दीप स्थापना, ज्वारारोपण, जलयात्रा, भैरव पूजन, षोडश विद्यादेवी पूजन, 64 योगिनी पूजन, नंदावर्त पूजन, पाटला, नवग्रह, दश दिग्पाल व अष्टमंगल पूजन, लघु सिद्धचक्रम तथा लघु वीशस्थानक पूजन हुआ। गच्छाधिपति आचार्य श्री जिन मणि प्रभ सूरिश्वरजी ने वासक्षेप व मंदिर में स्थापित होने वाली 15 प्रतिमाओं का शुद्धिकरण किया।

उन्होंने भगवान पार्श्वनाथ के च्यवन कल्याणक विधान मंत्रोचारण से करवाया तथा च्यवन कल्याणक के महत्व को बताया। भगवान पार्श्वनाथ के माता-पिता, इंद्र इंद्राणी स्थापना की गई। विधिकारक हेमंत भाई की टीम ने विभिन्न धार्मिक विधान करवाएं वहीं मुंबई संगीतकार नरेन्द्र भाई की टीम ने परमात्मा के च्यवन कल्याणक सहित विभिन्न भजनों की प्रस्तुतियां दी। भगवान पार्श्वनाथ की च्यवन कल्याणक विधान में दिल्ली उतर के पुलिस कमीशनर राजा बांठिया सहित फौजराज बांठिया परिवार के सदस्यों ने विभिन्न विधान करवाएं।

बांठिया ने बताया कि महोत्सव के दूसरे दिन गुरुवार को सुबह नौ बजे भगवान के च्यवन व जन्म कल्याणक उजवणी, चौदह स्वप्न दर्शन, स्वप्न फल कथन, छप्पन दिक्ककुमारी महोत्सव, इंद्रासन कंपन, सुघोषा घंट वादन, इंद्र महोत्सव, मेरू पर्वत पर 250 अभिषेक व दोपहर दो बजे श्री पार्श्वनाथ पंच कल्याणक पूजा होगी।

महोत्सव के तीसरे दिन 6 फरवरी को सुबह साढ़े सात बजे जिनालय मं परमात्मा के 18 अभिषेक, ध्वजदंड, कलशादि अभिषेक, सुबह दस बजे प्रिय दासी द्वारा बधाई, भूवा फूफा द्वारा नाम स्थापना, पाठशाला गमन, परमात्मा का विवाह, मायरा, राज्याभिषेक, नवलोकान्ति देवों का आगमन तथा प्रार्थना। शाम छह बहे मेहंदी सांझी का कार्यक्रम होगा। उन्होंने बताया कि 7 फरवरी 25 को भव्य वरघोड़ा (रथ-शोभायात्रा) बांठिया चौक से रवाना होकर महोत्सव स्थल (वाराणसी) नगरी में दीक्षा कल्याणक विधान तथा मध्य रात्रि शुभ मुन्हूत में अधिवासना-अंजनविधान होगा।

सार-समाचार

तिलम संघ में बनाया जाए फूड जोन

बीकानेर। बीकानेर जिला उद्योग संघ एवं फेडरेशन ऑफ़ राजस्थान ट्रेड इंडस्ट्री ने जिला कलक्टर नम्रता वृष्णि से मिलकर बीकानेर के शहरी क्षेत्रों में स्थापित लघु उद्योगों को इकाई स्थापना एवं उत्पादन बढाने हेतु उचित स्थान दिलवाने के लिए बीछवाल औद्योगिक क्षेत्र स्थित दशकों से खाली पड़े तिलम संघ में लघु उद्योगों हेतु फूड जोन की स्थापना बाबत चर्चा की बीकानेर जिला उद्योग संघ अध्यक्ष द्वारकाप्रसाद पचीसिया, राजीव शर्मा एवं हनुमान झंवर ने बताया कि तिलम संघ जो कि बीछवाल औद्योगिक क्षेत्र स्थित 1 लाख 32 हजार मीटर का भूखंड है जो कि वर्ष 2002 से बंद पड़ा है इस संबंध में पापड़, भुजिया, बड़ी व नमकीन के उद्यमियों द्वारा बीकानेर जिला उद्योग संघ से ऐसी खाद्य आधारित लघु उद्योगों का फूड जोन स्थापना बाबत निवेदन किया जा रहा है ि तिलम संघ की रिक्त भूमि फूड जोन की स्थापना के लिए उचित स्थान है ि उक्त स्थान पर 500 से 1000 मीटर के भूखंड काटने से इसमें तकरीबन 125 से 150 लघु उद्योग की इकाइयां आसानी से स्थापित हो सकती है ि इससे शहरी क्षेत्रों में स्थापित लघु उद्योगों को भी इकाई स्थापना के लिए उचित स्थान मिल सकेगा ि राजीव शर्मा ने बताया कि इस संबंध में जिला कलक्टर कार्यालय द्वारा रीको लिमिटेड बीकानेर से उक्त भूमि की समस्त जानकारी लेकर रीको के अधीनस्थ तिलम संघ में फूड जोन की स्थापना करवाते हुए राज्य सरकार की मंशा अनुरूप राज्य के औद्योगिक विकास व रोजगार सृजन की राह आसान करवाई जाए ताकि बीकानेर के विश्वविख्यात सुप्रसिद्ध फूड प्रोडक्ट को उत्पादन बढाने एवं रोजगार के क्षेत्र में सहयोग मिल सके ि

जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

बीकानेर। 'समाज जागे, बाल विवाह त्यागे' बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत जिला प्रशासन के निर्देशानुसार बाल अधिकारिता विभाग द्वारा बुधवार को डूडी पेट्रोल पंप के पास स्थित कान गणेश मंदिर में जन-जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। बाल अधिकारिता विभाग के अधीक्षक रामनारायण बिश्नोई ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान टीम द्वारा मंदिर में आने वाले दर्शनाथिर्यों को बाल विवाह के दुष्प्रभाव एवं इस सामाजिक बुराई को जड़ से खत्म करने का संदेश दिया गया। उन्होंने कहा कि बाल विवाह न केवल कानूनन अपराध है, बल्कि यह बच्चों के शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक विकास में भी बाधक है।मंदिर के पुजारी श्याम गहलोत व मीना ने मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को बाल विवाह रोकने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान बाल विवाह मुक्त समाज के निर्माण का संदेश दिया तथा शपथ दिलवाई।कार्यक्रम में प्रवेश आचार्य, सरिता राठौड़, लक्ष्मी नारायण एवं दर्शनार्थी मौजूद रहे।कार्यक्रम के अन्त में टीम द्वारा शपथ पत्र भरवाये गये तथा आमजन के अपील की गई कि बाल विवाह जैसी कुप्रथा को समाप्त करने में प्रशासन का सहयोग करें तथा किसी भी बाल विवाह की सूचना संबंधित विभाग या चाईल्ड हेल्पलाईन 1098 पर तुरंत दें।

विद्यार्थियों ने मॉडल प्रदर्शित किये

बीकानेर। पीएमश्री राजकीय सादुल उच्च माध्यमिक विद्यालय में राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के अंतर्गत बुधवार को विज्ञान मेले का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता एवं विज्ञान प्रदर्शक राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता दीपक जोशी और प्रो. अक्षय जोशी थे। कार्यक्रम में विज्ञान प्रश्नोत्तरी एवं मॉडल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न कक्षा वर्गों के विद्यार्थियों नें भाग लिया। शिक्षक दीपक जोशी और प्रो. अक्षय जोशी नें अपने सजीव प्रयोगों और क्रियाकलापों से विज्ञान के जटिल नियमों को स्पष्ट किया। विज्ञान के मूलभूत सिद्धांतों की समझ के लिए अतिथियों के प्रदर्शन महत्त्वपूर्ण रहे। दीपक जोशी ने कहा कि विज्ञान जितनी जटिल प्रतीत होती है, वस्तुतः समझने से उतनी ही सरल हो जाती है। अक्षय जोशी ने कहा कि आधुनिक समय में विज्ञान के मौलिक सिद्धांतों की समझ विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है। छात्र-छात्राओं ने जल शुद्धिकरण, टर्बाइन, भौतिकी के सिद्धान्त आदि के मॉडल बनाए। विद्यार्थियों में इन गतिविधियों से विज्ञान में रुचि का निर्माण हुआ। प्रतियोगिता में विजेता विद्यार्थियों को पुरस्कार देकर प्रोत्साहित किया गया। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ अध्यापक सुभाष जोशी ने किया। संयोजन भुवनेश कुमार सांखला और सह संयोजन महेंद्र मोहता ने किया। प्रधानाचार्य सुशीला जयपाल ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

प्रारूप-10 [नियम 6 (7) देखिए]
कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी नगरपालिका सूरतगढ़
क्रमांक: 4050-53 लोक सूचना दिनांक : 03.02.26
श्री लोकेश बंसल पुत्र श्री राम प्रसाद बंसल निवासी वार्ड नंबर 18, सूरतगढ़, जिला श्रीगंगानगर कि नीचे अल्लिखित भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन (आवासीय) के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अधिभूति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात :-

जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	भूमि स्थान	क्षेत्र
तहसील सूरतगढ़	कस्बा सूरतगढ़	चक टीलाकाली खसरा नं. 267/8 मिन 2 की 0.8855 हैक्टेयर व 8/4 मिन 1 की 0.8855 हैक्टेयर कुल 1.771 हैक्टेयर	1.771 हैक्टेयर यानी 17710 वर्गमीटर

इसलिए, इसके द्वारा समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अधिभूति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अधिभूति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 07 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज .....को जारी की गयी।
-प्राधिकारी अधिकारी, नगरपालिका सूरतगढ़

प्रारूप-10 [नियम 6 (7) देखिए]
कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी नगरपालिका सूरतगढ़
क्रमांक: 4049 लोक सूचना दिनांक : 03.02.26
श्री अंकित गुप्ता पुत्र श्री हनुमान प्रसाद गुप्ता निवासी वार्ड नं. 21, सूरतगढ़, जिला श्रीगंगानगर कि नीचे अल्लिखित भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन (आवासीय) के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अधिभूति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात :-

जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	भूमि स्थान	क्षेत्र
तहसील सूरतगढ़	कस्बा सूरतगढ़	चक टीलाकाली खसरा नं. 267/8 मिन 2 की 0.8855 हैक्टेयर व 8/4 मिन 2 की 0.8855 हैक्टेयर कुल 1.771 हैक्टेयर	1.771 हैक्टेयर यानी 17710 वर्गमीटर

इसलिए, इसके द्वारा समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अधिभूति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अधिभूति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 07 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज .....को जारी की गयी।
-प्राधिकारी अधिकारी, नगरपालिका सूरतगढ़

कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)
क्रमांक:- नियमन/2026/ **सार्वजनिक आपत्ति सूचना** दिनांक :
सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि कृषि भूमि क्षेत्र में रिहायशी भूखण्ड वाके चक 6 ई छोटी मुरब्बा नं. 20 के किला नं. 21 में भूखण्ड संख्या 2603 का माप 40'-0'' गुणा 68'-0'' फीट के नियमन / पटटा हेतु आवेदक श्रीमती संतोष देवी पत्नी श्री सुभाष निवासी श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर इनके भूखण्ड का नियमन किया जाना है। अतः उपरोक्त वर्णित भूखण्ड के आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों / रकबे के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति मय सबूत आपत्ति सूचना के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस के अन्दर-अन्दर न्यास कार्यालय में कमरा नं. 17 में प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा बाद मियाद गुजरने अवधि के उपरान्त आवेदक श्रीमती संतोष देवी पत्नी श्री सुभाष निवासी श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर चक 6 ई छोटी मुरब्बा नं. 20 के किला नं. 21 में भूखण्ड संख्या 2603 का माप 40'-0'' गुणा 68'-0'' फीट का नियमन / पटटा जारी कर दिया जावेगा। यदि उक्त वर्णित क्षेत्र का पूर्व में नियमन/ पटटा जारी होना पाया गया तो वर्तमान पटटा स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। न्यास किसी भी विवाद के लिए जिम्मेवार नही होगा। - सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

राजस्थान सरकार, कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)
क्रमांक : नियमन/2026/ **सार्वजनिक आपत्ति सूचना** दिनांक : 03-02-2026
सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि कृषि भूमि क्षेत्रों में कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरित योजना में नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर द्वारा चक 6 ई छोटी मुरब्बा नं. 39 के किला नं. 10 व 11 में माप 36.3 इन्च 60 फीट श्रीगंगानगर का पट्टा संख्या 1660 दिनांक 12.02.2002 को श्री ताराचंद पुत्र श्री मोमन राम के नाम से जारी है। जिससे से श्री महेश वधवा पुत्र श्री लालचंद वधवा द्वारा माप 12 इन्च 60 फीट जरिये रजिस्ट्री क्रय किया हुआ है एवं इसी रकबे में माप 36.3 इन्च 60 फीट का पट्टा संख्या 96 दिनांक 11.05.2013 को श्री विनोद कुमार पुत्र श्री बनवारीलाल के नाम से जारी किया हुआ है जो वर्तमान में नामान्तरण उपरांत श्री महेश वधवा पुत्र श्री लालचंद वधवा के नाम से नामान्तरण उपरांत दर्ज है। श्री महेश वधवा द्वारा उक्त दोनों भूखण्डों का पंजीगंठन आदेश जारी करवा माप 48.3 इन्च 60 फीट के अपने स्वामित्व के दस्तावेज एवं शपथ पत्र प्रस्तुत कर न्यास कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी पटटा एवं अन्य दस्तावेजों का समर्पण कर भूखण्ड का फ्री होल्ड पटटा जारी करने हेतु आवेदन किया है। अतः उक्त के सम्बन्ध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति मय सबूत छाया दिनांक से 7 दिवस के अन्दर-अन्दर न्यास कार्यालय के कमरा नं. 17 में प्रस्तुत करें, अन्यथा बाद मियाद गुजरने अवधि के उपरान्त आवेदकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं शपथ पत्र के आधार पर राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा एवं आवंटन) नियम 2012 के नियम 20, 25 एवं 27 की अनुपालना में कार्यवाही करते हुए फ्री होल्ड पटटा जारी कर दिया जावेगा। इस सम्बन्ध में न्यास किसी भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा। RajKaj Ref No.: 20245573 -सचिव,नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर।

राजस्थान सरकार, कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)
Telefax No. 0154-2466652, Email :- uit_sgnr@yahoo.com Off. Add:- UIT Office, Model Town, Sri Ganganagar (Raj.) 335001
क्रमांक :- नियमन/2025-26/ **सार्वजनिक आपत्ति सूचना** दिनांक : 04.02.2026
सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि कृषि भूमि क्षेत्र में रिहायशी भूखण्ड वाके चक 01 ए छोटी मुरब्बा नं. 41/44 के किला नं. 15 में भूखण्ड संख्या 12 माप 15'0'' गुणा 50'0'' फीट के नियमन / पटटा हेतु आवेदक श्री अमृतपाल सिंह पुत्र श्री देवीलाल निवासी 131 मुखर्जी नगर, श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर इनके भूखण्ड का नियमन किया जाना है। अतः उपरोक्त वर्णित भूखण्ड के आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों / रकबे के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति मय सबूत आपत्ति सूचना के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस के अन्दर-अन्दर न्यास कार्यालय में कमरा नं. 17 (नियमन शाखा) में प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा बाद मियाद गुजरने अवधि के उपरान्त आवेदक श्री अमृतपाल सिंह पुत्र श्री देवीलाल निवासी 131 मुखर्जी नगर, श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर चक 01 ए छोटी मुरब्बा नं. 41/44 के किला नं. 15 में भूखण्ड संख्या 12 माप 15'0'' गुणा 50'0'' फीट का नियमन / पटटा जारी कर दिया जावेगा। यदि उक्त वर्णित क्षेत्र का पूर्व में नियमन / पटटा जारी होना पाया गया तो वर्तमान पटटा स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। न्यास किसी भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा। RajKaj Ref. No. 20299342 - सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

राजस्थान सरकार, कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)
Telefax No. 0154-2466652, Email :- uit_sgnr@yahoo.com Off. Add:- UIT Office, Model Town, Sri Ganganagar (Raj.) 335001
क्रमांक :- नियमन/2026/ **संशोधित सार्वजनिक आपत्ति सूचना** दिनांक : 04.02.2026
सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि कृषि भूमि क्षेत्रों में कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरित योजना में नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर द्वारा चक 5 ई छोटी मुरब्बा नं. 01 के किला नं. 15 में माप 31.8 इन्च 52 फीट भूखण्ड संख्या 15, श्रीगंगानगर का पट्टा संख्या 6950 दिनांक 28.04.2009 को श्रीमती अनिता देवी पत्नी श्री अजीत कुमार के नाम से जारी किया हुआ है। श्रीमती निशा पत्नी श्री पंकज वर्मा द्वारा उक्त भूखण्ड में से माप 31.8 इन्च 21 फीट + (9.6 इन्च 31.8 खांचा भूमि) अर्थात 31.8 इन्च 31 फीट एवं श्रीमती रमन कुमारी पत्नी श्री विनोद कुमारी द्वारा माप 31.8 इन्च 31 फीट जरिये पंजीकृत उपहार पत्र दिनांक 12.11.2024 द्वारा क्रय कर अपने स्वामित्व के दस्तावेज एवं शपथ पत्र प्रस्तुत कर न्यास कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी पटटा एवं अन्य दस्तावेजों का समर्पण कर भूखण्ड का फ्री होल्ड पटटा जारी करने हेतु आवेदन किया है। अतः उक्त के सम्बन्ध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति मय सबूत छाया दिनांक से 7 दिवस के अन्दर-अन्दर न्यास कार्यालय के कमरा नं. 17 में प्रस्तुत करें, अन्यथा बाद मियाद गुजरने के उपरान्त आवेदकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं शपथ पत्र के आधार पर राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा एवं आवंटन) नियम 2012 के नियम 20, 25 एवं 27 की अनुपालना में कार्यवाही करते हुए फ्री होल्ड पटटा जारी कर दिया जावेगा। इस सम्बन्ध में न्यास किसी भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा। RajKaj Ref. No. 20306639 - सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

राजस्थान सरकार, कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)
क्रमांक : नियमन/2026/5132 **सार्वजनिक आपत्ति सूचना** दिनांक : 4-2-2026
सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि कृषि भूमि क्षेत्र में रिहायशी भूखण्ड वाके चक 2 एमएल मुरब्बा नं. 36 के किला नं. 10 में भूखण्ड संख्या का माप 33'-9''गुणा 63'-6'' फीट के नियमन/पट्टा हेतु आवेदक श्रीमती सुमन सोनी पत्नी श्री श्याम सुन्दर सोनी निवासी श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर इनके भूखण्ड का नियमन किया जाना है। अतः उपरोक्त वर्णित भूखण्ड के आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों/रकबे के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति मय सबूत आपत्ति सूचना के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस के अन्दर-अन्दर न्यास कार्यालय में कमरा नं. 17 में प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा बाद मियाद गुजरने अवधि के उपरान्त आवेदक श्रीमती सुमन सोनी पत्नी श्री श्याम सुन्दर सोनी निवासी श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर चक 2 एमएल मुरब्बा नं. 36 के किला नं. 10 में भूखण्ड संख्या का माप 33'-9''गुणा 63'-6'' फीट का नियमन/पट्टा जारी कर दिया जावेगा। यदि उक्त वर्णित क्षेत्र का पूर्व में नियमन/ पट्टा जारी होना पाया गया तो वर्तमान पट्टा स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। न्यास किसी भी वि